मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

झूठे चुनावी वादे की सज़ा नहीं 3
संघ परिवार को संविधान से क्या लेना देना 4
मोदी ने डकारी इसरो की उपलब्धि 5
पांच साल और 15 घोटाले 6
ठेकेदार बनवा रहा है हरियाणा भाजपा का दफ्तर 8

वर्ष 32 अंक -20 फ़रीदाबाद 31-6 अप्रैल 2019 फोन - 9999595632 2.50 ₹

कृष्णपाल के बचाव में कलराज मिश्र
अपनों को भी गोली मारेंगे भाजपाई ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते रविवार 24 मार्च को सेक्टर 64-65 (पृथला विधान सभा क्षेत्र) में भाजपा हरियाणा के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री कलराज मिश्र पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करने आये थे। पार्टी आला कमान ने उन्हें हवा का रूख भांपने व टिकट की दावेदारी का फ़ैसला लेने को भेजा था। इस कार्यक्रम में ज्योंही मंत्री कृष्णपाल मंच पर चढे कार्यकर्ताओं ने कृष्णपाल विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिये । इनमें प्रमुख नारे थे, ''मोदी से बैर नहीं कृष्णपाल तेरी खैर नहीं,'' ''ग़ली-ग़ली में शोर है कृष्णपाल चोर है'' आदि-आदि। इस नारेबाज़ी के विरोध में मंत्री गूजर के पाल्तू पिट्ठू हल्ला करने वालों से भिड़ गये।

उधर मंच पर मौजूद आला कमान के प्रतिनिधि कलराज मिश्र ने भी अपना असली रूप प्रकट करते हुए कहा कि यदि यह हंगामा उनके प्रदेश में हुआ होता तो वे अनुशासन भंग करने वालों को गोली मार देते। पहली बात तो यह समझ में नहीं आई कि अपना प्रदेश यानी यूपी और हरियाणा में उन्हें क्या भेद नज़र आया? जो काम वे यूपी मे कर सकते हैं वही यहां हरियाणा में करने से क्यों डरते हैं, राज तो दोनों ही राज्यों में उनकी भाजपा का ही है। इस कथन से कलराज ने यूपी के शासन प्रशासन की पोल जरूर खोल दी। यानी वहां सीधा गुंडा राज योगी के नेतृत्व में चल रहा है। वहां कभी भी किसी को गोली मारी जा सकती है।

बड़ी बात यह सामने आई कि संघ के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा की सोच-समझ क्या है, उनका दर्शन क्या है? जाने-

अनजाने कलराज ने अपने मन की बात कह कर स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र एक ढकोसला है। जनता की राय जानना केवल एक दिखावा मात्र होता है। इस दिखावे में जनता को केवल वही राय देनी होती है जो उच्च नेतृत्व चाहता है। लोग़ों को अपनी राय अभिव्यक्त करने का कतई कोई अधिकार नहीं है। जो इस अधिकार का प्रयोग करेगा उसे गोली मारी जा सकती है। यदि यूपी की भांति हरियाणा में भी कलराज एवं संघ की जड़ें मजबूत होतीं तो वे यहां भी विरोध के स्वर मुखर करने वालों को गोली मार देते। इसी को फ़ासीवाद कहते हैं। इसी को तालीबानी एवं कट्टरवादी विचारधारा का दर्शन कहा जाता है। हिटलर की भी यही फ़िलॉसफ़ी थी, विरोध करने वाले को कुचल दो। हिटलर की तरह संघ एवं भाजपा नेतृत्व भी यही मानता है कि जो कुछ वे सोचते समझते हैं केवल वही ठीक है बाकी सब न केवल ग़लत है बल्कि देशद्रोह है। अपनी इसी विचारधारा को पूरे देश पर थोपने के लिये भाजपा ने सिर-धड़ की बाज़ी लगा रखी है। आज हर नागरिक को इसी से सावधान रहने की आवश्यकता है।

बूढ़े चौटाला को ठुकराने के बाद क्या भाजपा युवा चौटाला को फंसा पायेगी ?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

भाजपा और चौटाला पार्टी का मेल-मिलाप या घाल-मेल कोई नई अथवा अनहोनी बात नहीं है। देवी लाल और मंगलसेन के समय से लेकर औम प्रकाश चौटाला तक कई बार ये दो दल जनता को अपनी दलदल में धंसाते रहे हैं। सत्तारूढ होने पर बड़ा पार्टनर होने के नाते चौटाला ने भाजपाईयों को धोया भी खूब अच्छी तरह से है। सन् 1998-2004 के शासन काल में तो मुख्यमंत्री ने फ़रीदाबाद के भाजपाइयों को तो सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। लेकिन कहावत है राजनीति में न तो कोई स्थाई दोस्त होते हैं न स्थाई दुश्मन। राजनीतिज्ञों की कौम ऐसी बेशर्म है कि जरूरत पड़ने पर अपनी बड़ी से बड़ी बेइज्जती को भुलाने में ज़रा भी नहीं झिझकती।

इसी सिद्धांत के आधार पर औम प्रकाश चौटाला, हरियाणा राजनीति के हीरो से ज़ीरो बनने के बाद भी पुन:भाजपा के द्वारे नाक रगड़ने जा पहुंचे। पहले अपने मुख्य सिपहसालार अशोक अरोड़ा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दरवाजे पर भेजा, उनके खाली हाथ एवं अपमानित होकर लौटने के बाद औम प्रकाश ने खुद काफ़ी घुटने रगड़े लेकिन बात नहीं बनी। बनती भी कैसे? इतना गणित तो भाजपा भी जानती ही है कि बड़ी से बड़ी रकम को ज़ीरो से गुणा करने पर गुणनफ़ल ज़ीरो ही आता है। ऐसे में भला भाजपा उनके साथ लग कर अपने आप को ज़ीरो क्यों करना चाहेगी?

हरियाणा की जनता को जातीय आधार पर विखंडित कर चुकने और जाटों को ठिकाने लगाने के चलते जींद उपचुनाव जीतने के बाद राज्य में भाजपा का उत्साह आज बेशक सातवें आसमान पर है; लेकिन इसके बावजूद भाजपा का युवा चौटाला यानी दुष्यंत की जजपा (जननायक जनता पार्टी) से उनके गठबंधन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। बेशक जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान भाजपा सरकार ने जाटों को खूब अच्छी तरह धोया था, इसके बावजूद यदि कोई मदारी इन पिटे हुए जाटों को भी बांध कर भाजपा की झोली में डाल दे तो क्या बुरा है। ऐसे में भाजपा की तो बल्ले-बल्ले होना तय लगेगा ही ।

अब देखने वाली बात यह है कि जिस भाजपा विरोध के नाम पर दुष्यंत ने अपनी जजपा खड़ी की है, जिस भाजपा द्वारा जाटों पर किये गये प्रहारों का बदला लेने बहाने दुष्यंत ने अपने वोटरों को लामबंद किया है क्या वे उन सब को भाजपा की झोली में डालने में कामयाब हो पायेंगे? यदि यह गठबंधन होता है तो इसका लाभ कांग्रेस को भी मिलना तय है। दुष्यंत का जो वोटर भाजपा की झोली में गिरने से इंकार करेगा वह भूपेन्द्र हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रस में जायेगा। इसी संभावना के मद्दे नज़र कांग्रेस आला कमान ने भूपेन्द्र हुड्डा का कद बढाते हुऐ राज्य की प्रचार समिति का चेयरमैन बना दिया है। जाहिर है कांग्रेस ने यह पैंतरा जाटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही चला है।

जेटली को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है समझौता ब्लास्ट फैसले में आयी जज की टिप्पणी

धीरेश सैनी

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को लेकर 'समयांतर' के लिए एक छोटी सी टिप्पणी लिखने के लिए पिछले एक हफ्ते में इस केस से जुड़ी कई चीजें पढ़ीं। जाहिर है कि ये चीजें मक्का मस्जिद बलास्ट केस, मालेगांव ब्लास्ट केस आदि से भी जुड़ी हुई थीं। स्वास्थ्य कारणों से मुश्किल के बावजूद इसी सिलसिले में एक छोटी सी यात्रा भी की। समझौता एक्सप्रेस केस की जांच की शुरुआत करने वाली हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) के प्रमुख रहे विकास नारायण राय से बातचीत के लिए।

जज की एक अकेली टिप्पणी the "best evidence" was "withheld" by the prosecution and was not brought on record. (अभियोजन ने कारगर साक्ष्यों को रोक दिया था) भी सब कुछ बयान कर देने के लिए पर्याप्त थी।

फैसले में जज की तीखी टिप्पणियां ही वजह थीं कि 21 मार्च को आए फैसले के बाद से जारी भाजपा/सरकार की हैरानी भरी ख़ामोशी टूटी। बक़ौल दैनिक जागरण- समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष अदालत द्वारा फैसले की कॉपी सार्वजनिक किए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए 'हिंदू आतंकवाद' की थ्योरी को गढ़ा था। कांग्रेस ने इस थ्योरी को स्थापित करने के लिए फर्जी सबूतों के आधार पर बेगुनाह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए। लेकिन, अब अदालत के आदेश आने के बाद इसका पटाक्षेप हो गया है। जो

जज जगदीप सिंह : एनआईए ने सर्वश्रेष्ठ सुबूत छिपाये

लोग हिंदुओं को आतंकवादी मानते थे अब वे धर्म के प्रति निष्ठा जताने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि यूपीए सरकार के कदम से धमाके को अंजाम देने वाले वास्तविक गुनहगार बच निकले। (दैनिक जागरण की वेबसाइट)

दिलचस्प यह है कि एनआईए जज के फैसले की कॉपी सार्वजनिक हो जाने के बाद आया यह बयान फैसले में जांच एजेंसी को लेकर की गई कड़ी टिप्पणियों के सामने खोखला साबित हो रहा है। विकास नारायण राय इस बारे में अपनी बात बिंदुवार कह चुके हैं। रुटीन के रिपोर्टर वाली पुरानी आदत के चलते और आदतन ही रिपोर्टर होने के नाते जेटली के बयान को लेकर भी दो-चार लाइनें जुड़वाने के लिए समयांतर को कल ही भेज दी थीं जिनका जुड़ पाना शायद ही संभव हो। यूं भी इस बारे में विकास की ज़रूरी पोस्ट समेत महत्वपूर्ण चीजें छप रही हैं (हिंदी मीडिया की मुख्यधारा में भले ही नहीं) और छपने वाली हैं। छपने-छपाने से ज़्यादा मेरी मुश्किल यह है कि विभिन्न सामग्री से गुज़रते हुए फासिज्म को लेकर मेरा भरोसा मजबूत होने लगता है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, मालेगांव आदि के ब्लास्ट केस किस तरह इंटरलिंक हैं और इनमें कैसी समानताएं हैं, यह बात जगजाहिर है।

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की शुरुआती जांच करने वाले हरियाणा एसआईटी के प्रमुख विकास नारायण राय हैरान थे कि मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच कर रही एटीएस के चीफ हेमंत करकरे जिन एविडेंसेज तक पहुंच रहे थे, वे एक से इन केसेज के तौर-तरीक़ों में समानता का इशारा कर रहे थे। करकरे को मिले सबूत इतने सॉलिड थे कि किसी भी जिम्मेदार अफसर के लिए उन्हें नकारना मुमकिन नहीं था। वही लोग एक केस में थे, वही दूसरे में। असीमानंद का लिंक मक्का मस्जिद केस में उभर रहा था तो समझौता केस में भी जुड़ रहा था। जाहिर है कि हड़कंप मचना ही था क्योंकि सिरा संघ की टॉप लीडरशिप की तरफ पहुंचता था।

मोटे तौर पर यह कि अभिनव भारत या किसी भी संगठन का नाम लीजिए, आरोपियों की पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ती थी। प्रज्ञा सिंह एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी रह चुकी थीं। असीमानंद का नाम आरएसएस की विंग वनवासी कल्याण आश्रम के शीर्ष नामों में शुमार था। सुनील जोशी जिसकी हत्या कर दी गई थी, मध्य प्रदेश में संघ के बड़े नामों में से था। दांगे भी आरएसएस का प्रचारक रह चुका था। आरएसएस के एक बड़े नेता इंद्रेश कुमार तक से पूछताछ की गई थी और आरएसएस के लिए खतरा इससे ज्यादा बड़ा हो सकता था। 2010 में आरएसएस ने देशभर में धरने

शेष पेज पांच पर

जलती ट्रेन के फैसले से उठते सुलगते मुद्दे

समझौता ट्रेन तो जल गई लेकिन अपने पीछे सुलगते मुद्दे छोड़ गयी। बारह साल बाद केस में फैसला तो आया लेकिन मोदी सरकार की जाँच में धांधली के चलते असीमानंद समेत सभी आरोपी बरी हो गये। जांच को मुख्यत: निम्न चार चरणों में देखा जा सकता है।

पहले चरण में हरियाणा पुलिस एसआईटी की शुरुआती एक वर्ष की जांच रही, जिसमें स्थापित हुआ कि इस जघन्य अपराध का केंद्र बिंदु इंदौर था और इसके तार पाकिस्तानी संगठनों से नहीं बल्कि उग्र हिन्दुत्ववादी समूहों से जुड़े हुए थे।

दूसरा चरण वह था जब सीबीआई ने करीब दो वर्ष जांच की मोनिटरिंग की। इस दौरान जांच उपरोक्त लाइन पर ही आगे ब?ी लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

2010 में आतंकी अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय एजेंसी एनआइए के गठन के बाद जांच उसके पास आ गयी और गिरफ्तारियां शुरू हुयीं। जांच की दिशा वही रही जो हरियाणा एसआईटी ने निर्धारित की थी। तीन अपराधी गिरफ्तार नहीं किये जा सके लेकिन नवम्बर 2011 में अदालत में चालान दे दिया गया।

चौथा चरण मई 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के साथ शुरू हुआ। एनआइए चीफ शरद कुमार ने आरएसएस और मोदी सरकार के दबाव में पलटी मारी और एजेंसी की सारी शक्ति केस में आरोपियों को बरी कराने में लग गयी। महत्वपूर्ण गवाह या तो बिठा दिए गए या उनकी गवाहियाँ ही नहीं कराई गयीं। तीन भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के कोई प्रयास ही नहीं हुए। इस सब का लाभ आरोपियों को मिला।

मोदी के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया है कि असीमानंद समेत सभी अपराधी निर्दोष थे, इसलिए बरी हो गए। जबकि एनआइए अदालत के जज जगदीप सिंह के फैसले के अनुसार एनआइए ने जानबूझ कर इस केस को खराब किया और इसलिए मजबूरी में उन्हें आरोपियों को बरी करना पड़ा।

प्रमुख सवाल यह बनता है कि अगर वाक़ई असीमानंद गिरोह निर्दोष था तो मोदी-जेटली की एनआइए ने उन पर मोदी शासन के पाँच वर्षों में भी मुक़दमा क्यों बनाये रखा? अगर कोई नये सबूत आ गये थे जो जाँच को नई दिशा दे रहे थे तो उनके आधार पर, कानून अनुसार, आरोपियों को अदालत से दोष मुक्त क्यों नहीं कराया गया?

क्या मोदी और जेटली राष्ट्र को बताएँगे कि एनआइए प्रमुख को रिटायर होने के बाद दो वर्ष तक सेवा विस्तार और फिर भारत सरकार के विजिलेंस कमिश्नर के पद से क्यों नवाजा गया? यह समझौता व अन्य कई आतंकी मामलों में असीमानंद और उसके साथियों के विरुद्ध केस कमजोर करने के पुरस्कार स्वरूप नहीं तो और क्या है?

इस तरह परोक्ष रूप से मोदी सरकार ने हाफ़िज़ सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बचाने के पाकिस्तानी दाँव-पेंच का ही समर्थन कर दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर किस मुँह से भारत सरकार आतंक विरोधी ललकार उठाएगी?